न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 37/2014

प्रविष्टि दिनांक – 6.5.2017

उनवान

1. दयाल पुत्र जगन्नाथ जाति अहीर निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
2. किशनलाल पुत्र प्रताप जाति अहीर निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र गोपाल अहीर निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
2. रमेश पुत्र नारायण निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
3. मुकेश पुत्र राजाराम निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
4. नारायण पुत्र राजाराम निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
5. विनोद पुत्र श्योजीराम निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक
6. भोमा पुत्र सत्यनारायण अहीर निवासी शकूरपुरा उर्फ कचोलिया तहसील व जिला टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री आशिष पाल–वकील वादी आवेदक
श्री रजनीश यादव–अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक–22.12.17

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 354 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम शकूरपुरा पटवार हल्का वजीरपुरा मे स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से के मलिक व काबिज है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि के कुछ हिस्से पर बाडे बना रखे है तथा कुछ हिस्से पर काश्त होती है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि पर जाने के लिए भूमि के दक्षिणी मेड पर रास्ता बना रखा है। प्रतिपक्षीगण का उक्त भूमि से कोई संबध नही है। किन्तु फिर भी प्रतिपक्षीगण उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते है तथा प्रार्थीगण के बाडे के रास्ते का उपयोग मे रूकावट पैदा करते है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे तथा प्रार्थीगण की भूमि मे बने हुए बाडे मे आने जाने मे रूकावट पैदा नही करे।

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1 ता 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार उक्त आराजी मे प्रतिपक्षी सं0 7 का हक व हिस्सा है। प्रार्थी सं0 1 , प्रतिपक्षी सं0 7 की भूमि मे मजाहमत करते है। बाडे के ख.न. 354 के दक्षिण दिशा की ओर ख.न. 355 प्रतिपक्षी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी जिसमे प्रार्थीगण अपने बाडे मे जाने के लिए अवैधानिक रूप से रास्ता निकालने पर अमादा है। प्रार्थीगण ने तथ्य छुपाते हुए वाद पेश किया हे। प्रार्थी सं0 2 के द्वारा भी प्रार्थी सं0 1 के साथ किया है किन्तु प्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 17.12.2014 को उक्त वाद मे वाद विड्रो करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी सं0 2

Scanned by CamScanner

के फर्जी हस्ताक्षर कर दावा पेश किया है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी की भूमि ख.न. 355 को हडपने से वाद पेश किया है। प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता प्रार्थीगण नजरी नक्शा , जमाबंदी संवत 2069–72, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने कथनो को दोहराते हुए बहस की। हमने प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। हक अधिकार संबंधी तथ्यो साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। जमाबंदी संवत 2069–72 में अंकितानुसार उक्त विवादित भूमि ख.न. 354 का सहखातेदार काश्तकार है। प्रतिपक्षीगण का प्रथम दृष्टया उक्त भूमि से कोई संबधं प्रतीत नही होता है। प्रतिपक्षी के कथनानुसार ख.न. 355 उनकी खातेदारी की भूमि है इस संबध मे कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। चूंकि प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि ख.न. 354 के रिकार्डेड सहखातेदार है और वाद निर्णय के दौरान विवादित भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की रूकावट होती हे तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थीगण के पक्ष मे होने के कारण प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 354 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम शकूरपुरा, तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से 2/5 के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे प्रार्थीगण की भूमि मे बने बाडे मे आने जाने के रास्ते मे रूकावट पैदा नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज **दिनांक** 22/12/17..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner